यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
कार्मिक संबंध प्रभाग
मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

स्टाफ परिपत्र क्र.:6795

दिनांक 26.04.2018

प्रति: सभी शाखाओं/कार्यालयों

लिपिकीय कर्मचारियों को अधिकारियों के कर्तव्यों का स्थानापन्न और स्थानापन्न भत्ते का भुगतान

यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अधिकारी संवर्ग के कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए लिपिक कर्मचारियों के फिनेकल आईडी को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन संबंधित कर्मचारियों को मानदंडों के अनुसार स्थानापन्न भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है. कुछ मामलों में, लिपिक कर्मचारियों की आईडी को अपग्रेड करना नियमित अभ्यास बन गया है.

इस संबंध में, हम आपका ध्यान द्विपक्षीय समझौता के अनुसार प्रचलित दिशानिर्देशों की ओर आकर्षित करते हैं, लिपिक कर्मचारियों को स्थानापन्न निर्देश जारी करने और उनके लिए स्थानापन्न भत्ता का भुगतान करने की प्रक्रिया में मानदंडों का अनुपालन किया जाए.

चूंकि क्षेत्र में पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती की गयी है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि लिपिक कर्मचारियों को नियमित आधार पर अधिकारी संवर्ग के कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए स्थानापन्न निर्देश दिए जाए. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में और बैंक की अनिवार्यता के अनुसार, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिपिक कर्मचारी को अधिकारी संवर्ग के कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए स्थानापन्न निर्देश दिए जाते है, तो दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानापन्न भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए. शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय प्रमुख/मुख्य प्रबंधक के पद से कम से स्थानापन्न कर्तव्यों की अनुमति हेतु अनुमोदन/अनुममर्थन प्राप्त करना सुनिश्चित करें.

सभी संबंधित से अनुरोध है कि उपर्युक्त को ध्यानपूर्वक नोट करें.

महाप्रबंधक(मासं)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Employee Relations Division
Human Resource Department, Central Office

Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Staff Circular No.: 6795 Date: 26.04.2018

To: ALL BRANCHES / OFFICES

Officiating duties to Clerical employees as Officers and payment of Officiating allowance

It has been brought to our notice that Finacle ID of clerical employees are being upgraded to perform officiating duties of Officer cadre but eligible officiating allowance is not being paid to the concerned employees as per norms. In some cases, upgradation of ID of clerical employees has become a regular feature.

In this regard, we draw your attention to the guidelines in vogue as per Bipartite Settlement with regard to procedure to be followed for issuing officiating instructions to the clerical employees and also the officiating allowance to be paid to them, as per norms.

Since sufficient officers are deployed in the field, such a situation should not arise that the clerical employees be made to perform officiating duties as Officers on continual basis. However, in extreme circumstances, and also as per the exigencies of the Bank, if a clerical employee is required to officiate as Officer by the Competent Authority, payment of officiating allowance must be ensured as per the guidelines. Branches are advised to ensure obtaining approval/ ratification of allowing officiating duties from not below the rank of Dy. Regional Head/ Chief Manager of respective Regional Office.

All concerned are requested to take a careful note of the above.

GENERAL MANAGER (HR)

Ms/chl/18/sc/offg allow